संख्या-97/2016/608/22-2-2016-17(147)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 जुलाई 2016

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10908/प्रोबेशन-3/(एम-04-04-2016) दिनांक-06-04-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक निवासी मोहल्ला-देवीस्थान, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्ष 1990 में हुई शमीम नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-06-1999 को प्रात: लगभग 08:30 बजे छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाड़ी से हमला कर कमाल अहमद ऊर्फ गुड्डू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला न्यायाधीश लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 25-09-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध होने की प्रबल सम्भावना होने एवं प्रतिशोध की भावना जागृत होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राशिद (बन्दी संख्या-14629) पुत्र श्री आशिक निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-97/2016/608(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखीमपुर खीरी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-97/2016/608/22-2-2016-17(147)/2016
दिनांक 21 जुलाई, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध राशिद (बन्दी संख्या-14629) पुत्र श्री आशिक निवासी मोहल्ला-देवीस्थान, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्ष 1990 में हुई शमीम नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 19-06-1999 को प्रात: लगभग 08:30 बजे छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाड़ी से हमला कर कमाल अहमद ऊर्फ गुड्डू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,302 /149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला न्यायाधीश लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 25-09-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.10.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 02 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध होने की प्रबल सम्भावना होने एवं प्रतिशोध की भावना जागृत होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राशिद पुत्र श्री आशिक, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।